संख्या-23/2025/I/911499/2025/77-3-2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली/उन्नाव/मेरठ/बदायूं।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20.03.2025

विषय:- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद रायबरेली को भूमि क्रय हेतु आवंटित धनराशि में से आवश्यकतानुसार जनपद बदायूं को रू0 3.61 करोड़, जनपद उन्नाव को रू0 30.00 करोड़ तथा जनपद मेरठ को रू0 12.36 करोड़ भूमि क्रय हेतु हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक-6624/यूपीडा/1916-3/गंगा बजट दिनांक 04.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जिलाधिकारी, रायबरेली के डिपाजिट खाते में जमा अवशेष धनराशि रू0 60.00 करोड़ में से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि क्रय हेतु जिलाधिकारी, बदायूं को रू0 3.61 करोड़, जिलाधिकारी, उन्नाव को रू0 30.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, मेरठ को रू0 12.36 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु डिपाजिट खाते में जमा अवशेष धनराशि रू0 60.00 करोड में से जिलाधिकारी, बदायूं को रू0 3.61 करोड़, जिलाधिकारी, उन्नाव को रू0 30.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, मेरठ को रू0 12.36 करोड़ की धनराशि तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।

(2) जिलाधिकारी, बदायूं, उन्नाव, मेरठ द्वारा परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा तथा शासन को यथासमय प्रेषित करेंगे।

(3) जिलाधिकारी, बदायूं, उन्नाव, मेरठ का यह दायित्व होगा कि धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित करते समय व्यय की गयी धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेली/उन्नाव/मेरठ/बदायूं।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
10. वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
11. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।